बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :- 03/भू0अ0नि0(3)विविध-12/2023...4027... पटना, दिनांक :- 15/07/25

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 291 दिनांक 28.08.2024 द्वारा मो0 एजाज अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13411) के विरूद्ध लगातार शिविर कार्यालय से अनुपस्थित है, जिसके कारण इन्हें आवंटित मौजा का कार्य बाधित है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि शिविर कार्यालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाब भी इनके द्वारा नहीं दिया गया है। फलस्वरूप सर्वेक्षण जैसे कार्यो में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आलोक में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 13682 दिनांक 09.09.2024 द्वारा इनसे 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग इस शर्त्त के साथ की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा समाप्ति संबंधी एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः निदेशालय पत्रांक 13953 दिनांक 04.10.2024 द्वारा इन्हें एक अवसर देते हुए 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी, इसके बावजूद भी इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित न कर डेढ़ माह बाद स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि अगस्त, 2024 से ये टाईफाईड एवं आंत में सूजन तथा पेशाब की नली में संक्रमण से पीड़ित हैं। साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 154 दिनांक 08.01.2025 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 225-।। दिनांक 25.04.2025 द्वारा मंतव्य भेजा गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि कई बार कारण पृच्छा किये जाने के बावजूद भी मो0 अहमद द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है, जो इनकी मानसिकता को स्पष्ट करता है, ऐसे कर्मियों के कारण सर्वेक्षण कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके दृष्टिगत इन्हें चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा तथा मो0 अहमद से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाती हूँ कि मो0 अहमद द्वारा स्पष्टीकरण में बिमारी से ग्रसित रहने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इसकी सूचना इनके द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी को नहीं दी गयी है। यदि यह कार्यालय आने में असमर्थ थे, तो बंदोबस्त पदाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भी अपनी स्थिति से अवगत करा सकते थे, यद्यपि की इनके द्वारा यह नहीं किया गया। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनसे कई बार कारण पृच्छा किया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका प्रतिउत्तर भी देना उचित नहीं समझा गया है। साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इतनी लम्बी अवधि तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का चिकित्सीय साक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण कारण परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसके बावजूद बिना वरीय पदाधिकारी को सूचित किए हुए ये अनुपस्थित रहे हैं, जिससे सर्वेक्षण कार्य बाधित हुआ है, इनका यह कृत्य इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, आदेश की अवेहलना को परिलक्षित करता है तथा सरकारी कार्य कर रहे संविदा कर्मी के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं, इसके बावजूद मो0 अहमद द्वारा कार्य की महत्ता को नहीं समझा गया एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना भी की गयी। ऐसे अनुशासनहीन कर्मी को संविदा में बनाए रखने से इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–8(4) के तहत मो0 एजाज अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13411) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

15/7

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 4027 **पटना, दिनांक** :– 15/07/2025

प्रतिलिपि :– मो0 एजाज अहमद, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13411), बंदोबस्त कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 4027 **पटना, दिनांक** :– 15/07/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 4027 **पटना, दिनांक** :– 15/07/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्राम, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप